(21)

संख्या : 422/छप्पन–2014–6/2009 टी0सी0

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 25 मार्च, 2014

विषय : जनपद मेरठ स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी के विकास हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि निःशुल्क रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु धनराशि स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1222/एस0–8–84(बी)/2014, दिनांक 04.03.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त प्रयोजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 21.3914 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी हैं।

2– इस परिप्रेक्ष्य में शासन के पत्र संख्या–363/छप्पन–2014–6/09, दिनांक 13.03.2014 के द्वारा जनपद मेरठ स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी के विकास हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि निःशुल्क रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि निःशुल्क रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु चिन्हित भूमि की अनुमानित लागत रूपये 341.71 करोड़ के सापेक्ष रूपये 8.5274 करोड़ की स्वीकृति प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी है।

3– अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 21.3908 करोड़ (रू0 इक्कीस करोड़ उन्तालिस लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है।

4– शासनादेश संख्या–363/छप्पन–2014–6/09 टी0सी0, दिनांक 13.03.2014 में इंगित नियम/शर्तें यथावत रहेगी। उक्त धनराशि भूमि क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 21.3908 करोड़ को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, मेरठ के निवर्तन पर रखा जायेगा और यथावश्यकता समय–समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

5– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02– विमानपत्तन–800–अन्य व्यय–20–हवाई पट्टियों कें निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन–24–बृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

---2

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : ई–7–474/दस–2014, दिनांक 25 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 422(1)/छप्पन–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/मेरठ।
(4) जिलाधिकारी, मेरठ।
(5) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मेरठ।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7
(8) नियोजन अनुभाग–4
(9) गार्ड फाइल।
(10) समीक्षा अधिकारी (बजट)

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।